भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 310

दिनांक 20/03/2026

पंजाब में स्नातकोत्तर बागवानी अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान (पीजीआईएचआरई) की स्थापना की प्रगति

***310. श्री सतनाम सिंह संधू :**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में स्नातकोत्तर बागवानी अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान (पीजीआईएचआरई) के लिए भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) और स्थान का चयन करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसे मंजूरी मिल गई है; और

(ग) परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सभा के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

"पंजाब में स्नातकोत्तर बागवानी अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान (पीजीआईएचआरई) की स्थापना की प्रगति" से संबंधित राज्य सभा के दिनांक 20.03.2026 के तारांकित प्रश्न संख्या 310 के भाग (क) से (ग) से संबंधित विवरण

(क) : वर्ष 2015-16 के दौरान संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरूण जेटली जी के बजट भाषण (प्वाइंट संख्या 80) का अनुपालन करते हुए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा पंजाब सरकार से स्नातकोत्तर बागवानी अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान (PGIHRE) की स्थापना के लिए अमृतसर में उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। इसके उपरांत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अधिकारियों ने पंजाब सरकार के साथ विचार-विमर्श किया और अमृतसर शहर में उपयुक्त स्थान की पहचान करने के लिए फील्ड सर्वेक्षण किया। हालांकि, पंजाब सरकार ने अमृतसर में स्नातकोत्तर बागवानी अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान (PGIHRE) की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में पिछले दस वर्षों (2015-25) के दौरान कोई सार्थक पहल नहीं की है। इस संबंध में पंजाब सरकार के विशेष सचिव (कृषि) तथा सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), भारत सरकार के बीच दिनांक 07 जुलाई, 2024 को कृषि भवन, नई दिल्ली में विचार-विमर्श किया गया। इस विचार-विमर्श के दौरान यह परामर्श दिया गया कि इस मामले पर पंजाब सरकार द्वारा स्वयं समुचित कार्रवाई की जाए। तदुपरांत, इस विषय पर दिनांक 29 अक्तूबर, 2025 को उप-निदेशक बागवानी, पंजाब सरकार को लिखे गए हमारे पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला **(अनुबंध)**। साथ ही, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की वर्तमान ईएफसी (2026-31) में इस परियोजना के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख): स्नातकोत्तर बागवानी अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान (PGIHRE) की स्थापना के संबंध में कोई वास्तविक प्रगति नहीं होने के कारण सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) नहीं किया गया।

(ग): उपरोक्त (क) एवं (ख) में प्रस्तुत उत्तर के अनुसार यह लागू नहीं है।

****

अनुबंध

[राज्य सभा के तारांकित प्रश्न सं. 310 दिनांक 20.03.2026 का भाग (क)]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
बागवानी विज्ञान प्रभाग
कृषि अनुसंधान भवन-2, पूसा, नई दिल्ली-110012

फा.सं. FVS&MP 17(8)/2024-HS-II **दिनांक 29.10.2025**

सेवा में,

उप-निदेशक बागवानी
बागवानी विभाग, पंजाब
रंजीत ऐवन्यू ब्लॉक-बी, खेती भवन
अमृतसर, पंजाब

विषय:- अमृतसर में स्नातकोत्तर बागवानी अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान (PGIHRE) की स्थापना की वर्तमान स्थिति/परिस्थिति।

संदर्भ- आपका पत्र सं. 4097 दिनांक 09 सितंबर, 2025।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपने पत्र का अवलोकन करें जिसमें आपने इस विषय पर निम्न विवरण के अनुसार पत्राचार को दर्शाया है:

1. D.O No. 25/14/2015-Agri4(2)/2682 दिनांक 26 सितंबर, 2023
2. D.O No. 25/14/2015-Agri4(2)/15893, दिनांक 09 नवंबर, 2023
3. D.O No. 25/14/2015-Agri4(2)/1871, दिनांक 15 जनवरी, 2024
4. D.O No. 25/14/2015-Agri4(2)/4376, दिनांक 18 मार्च, 2024
5. D.O No. 25/14/2015-Agri4(2)/9739, दिनांक 15 जुलाई, 2024
6. D.O No. CMO/CONFI/2024/175, दिनांक 22 नवंबर, 2024
7. D.O No. 25/14/2015-Agri4(2)/5172, दिनांक 15 अप्रैल, 2025

इस विषय पर कुछ माह पूर्व अपर मुख्य सचिव, पंजाब सरकार के विजिट के दौरान सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, भाकृअनुप के कार्यालय में स्थिति को स्पष्ट किया गया था। बागवानी फसलों जैसे उष्णकटिबंधीय और शुष्क क्षेत्र के फल; शाकीय फसलें, पुष्प और अन्य सजावटी पादप, प्याज एवं लहसुन और मशरूम पर अनुसंधान एवं विकास के समर्थन हेतु कुल छः आईसीएआर- अखिल भारतीय समन्वित/नेटवर्क अनुसंधान परियोजनाएं पंजाब में काम कर रही हैं। जिनमें 19 वैज्ञानिक, 12 तकनीकी अधिकारी, 2 प्रशासनिक और 10 सपोर्टिंग कार्मिक कार्यरत हैं। यह परियोजनाएं पंजाब की मुख्य बागवानी फसलों पर स्थान विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास कार्यों को पर्याप्त रूप में समर्थन प्रदान कर रही हैं।

इस बात पर मुख्य रूप में बल दिया जाता है कि पंजाब सरकार से यह अपेक्षित था कि ईएफसी अवधि वर्ष 2017-20, जिसे वर्ष 2020-21 तक बढ़ाया गया, के दौरान अमृतसर में मुख्य प्रशासनिक भवन और प्रयोगशाला परिसर के निर्माण के लिए उपरोक्त प्रयोजन हेतु भाकृअनुप को उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाए। तथापि, इस अवधि के व्यतीत होने के बाद भी, पंजाब सरकार से सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तदनुसार, यह अवगत कराया जाता है कि इसी कारण से, भाकृअनुप द्वारा ईएफसी अवधि वर्ष 2021 से 2026 में इस प्रयोजन हेतु वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है।

यह उप-महानिदेशक (बागवानी विज्ञान) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीया

ह०/-
(अंजु तालिब कुरील)
उप-सचिव (बागवानी विज्ञान)